रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112022-239990 CG-DL-E-03112022-239990

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4882] No. 4882] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2022/कार्तिक 11, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2022/KARTIKA 11, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2022

का.आ. 5101(अ).—केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 31 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), अंगुल, भुवनेश्वर को कोयला निकालना, कोयला लदाई, उतराई और अतिभार हटाना और भूमि काटने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अद्यधीन रहते हुए पाँच वर्ष की अवधि, जो कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा, के लिए क्रम संख्या 1 से 3 के सामने उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट संकर्म में ठेका श्रम के नियोजन की बाबत, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2063, तारीख 21 जून, 1988 के, भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारिख से छूट प्रदान करती है, अर्थात्:-

- (i) उपर्युक्त उल्लिखित संकर्म में लगे कर्मकारों के हित संरक्षित हों;
- (ii) ऐसे कर्मकारों को कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर मजदूरी और अन्य प्रसुविधाएं दी जाएं;
- (iii) केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड को यह सुनिश्चित करने और जांच करने के लिए प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा कि क्या कोई नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), अंगुल, भुवनेश्वर में ऐसे कर्मकारों को ऐसी मजदूरी और प्रसुविधाँए दी जाती हैं;

7283 GI/2022 (1)

- (iv) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), अंगुल, भुवनेश्वर का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि जब कभी संविदा में कोई परिवर्तन होता है, तो विद्यमान ऐसे संविदा कर्मकारों को, जो कार्यरत हैं, कर्तव्यों के समाधानप्रद अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए अंतर्गामी ठेकेदार द्वारा नियोजन में अधिमान दिया जा सकेगा;
- (v) उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 2063, तारीख 21 जून, 1988 की अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 3 (कोयले के निकालना-सह-विक्रय के सिवाय) के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खनन संकर्म के सहायक या आनुषंगिक नौकरियों में कार्यरत कर्मकार कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा यथा-अवधारित और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार मजदूरी प्राप्त करेंगे;
- (vi) ठेकेदारों के साथ-साथ प्रधान नियोक्ता, उक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति की मजदूरी का, जो प्रत्येक छह मास में बढ़ती है और खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के उपबंधों के अनुसार अन्य फायदे का भी संदाय सुनिश्चित करेगा;
- (vii) संविदा कर्मकार, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के उपबंधों के अधीन आएंगे; और
- (viii) संविदा कर्मकारों को खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के उपबंधों के अनुसार मजदूरी सहित बोनस और छुट्टी दी जाएगी।

[फा. सं. एस.-16012/05/2021-एल.डब्ल्यू.(बी)] आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2022

- **S.O.** 5101(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970(37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Advisory Contract Labour Board, hereby exempts the raising of coal, coal loading and unloading and overburden removal and earth cutting in the National Aluminium Company Limited (NALCO), Angul, Bhubaneswar from the applicability of notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Labour number S.O. 2063, dated the 21st June, 1988, published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), in respect of employment of contract labour in the works specified in the Schedule to the said notification against serial numbers 1 to 3, for a period of five years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette subject to the following conditions, namely:-
 - (i) the interest of the workmen engaged in the above mentioned works be protected;
 - (ii) such workmen be paid wages and other benefits as per the recommendations of the High Powered Committee appointed by the Coal India Limited, Ministry of Coal, Government of India and the rates notified by the Coal India Limited from time to time;
 - (iii) the Central Advisory Contract Labour Board shall have the right to inspect the establishment to ensure and check whether such wages and benefits are given to such workers in the National Aluminium Company Limited (NALCO), Angul, Bhubaneswar;
 - (iv) the Management of the National Aluminium Company Limited (NALCO), Angul, Bhubaneswar shall ensure that whenever there is a change of contract, the existing contract workmen who are working may be given preference in employment by the incoming contractor, subject to satisfactory performance of duties;
 - (v) the workmen working in jobs ancillary or incidental to coal mining works specified against serial numbers 1 to 3 except raising-cum-selling of coal of the Schedule to the said notification number S.O. 2063, dated the 21st June, 1988shall get wages as determined by the High Powered Committee appointed by the Coal India Limited, Ministry of Coal, Government of India and the rates notified by the Coal India Limited from time to time;

- (vi) the contractor, as well as the Principal Employer, shall ensure payment of the said High Powered Committee wages, which increases every six months, and also other benefits as per the provisions of the Mines Act, 1952 (35 of 1952);
- (vii) the contract workers shall be covered under the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972); and
- (viii) the contract workers shall be paid bonus and leave with wages as per the provisions of the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

[F. No. S.-16012/05/2021-L.W.(B)]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Advisor